

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम)
जिला न्यायालय रोहिणी : दिल्ली

परिपत्र

जिला उत्तर-पश्चिम के न्यायालयों एवं अनुभागों में कार्यरत सभी अर्द्धसिद्ध/व्यवसिद्धों को निदेश दिया जाता है कि वे सभी कार्यदिवसों में अपनी वर्दी पहनकर एवं पहचान पत्र को ठीक से प्रदर्शित करके सुबह 09:30 बजे एवं शाम को 05:00 बजे अपनी हाजिरी प्रशासन अनुभाग-III (उ/प) में लगाएंगे। उपर्युक्त आदेश की अवमानना करने पर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Jush Gupta

(सुरेश कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला न्यायालय रोहिणी (उ/प): दिल्ली।

संख्या २२४३९-२२९१५ प्रशासन अनुभाग-III(उ०प०)/रोहिणी न्यायालय/2021 दिनांक २७/०७/२०२१

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिनिधि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ/प), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
3. सम्बन्धित न्यायाधीश जिला उत्तर-पश्चिम व उत्तर, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
4. सभी अर्द्धसिद्ध/व्यवसिद्धों को उनके पीछासूची अधिकारी (उ०/प०), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली के माध्यम से।
5. सभी अर्द्धसिद्ध/व्यवसिद्धों को उनके पीछासूची अधिकारी (उत्तर), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली के माध्यम से।
6. हेडक्वार्टर सप्लाय अफ़ेयर्स/डिप्टी, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
7. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जिला उत्तर-पश्चिम व उत्तर, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
8. अफ़िलेज अधिकारी, सूचना का अधिकारी जिला उत्तर-पश्चिम व उत्तर, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
9. लेटरस सीट, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।

Jush Gupta

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला न्यायालय रोहिणी (उ/प): दिल्ली।